भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4879
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : छोटे किसानों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए विशेष योजना

4879. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः
श्री दामोदर अग्रवालः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(ख) देश में वर्तमान में जैविक खेती करने वाले किसानों का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार छोटे किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ड्रोन तकनीक, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई और अन्य डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। दोनों स्कीम जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और मार्केटिंग और फसलोपरांत प्रबंधन तक शुरू से अंत तक सहयोग पर बल देती हैं। योजनाओं का प्राथमिक फोकस एक क्लस्टर में जैविक क्लस्टर बनाना है जहां छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके।

पीकेवीवाई को राज्यों के माध्यम से क्लस्टर मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर क्षेत्र वाले किसान समूह हैं। पीकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण, पीजीएस प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार जैसे विभिन्न घटकों को कवर करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए किसानों को डीबीटी के माध्यम से तीन वर्षों में 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत, एफपीओ के निर्माण, जैविक आदानों, गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणन के लिए किसानों को सहायता के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए किसानों को डीबीटी के माध्यम से तीन वर्षों में 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है और रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये की सहायता दी जाती है।

(ख): पीकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत अब तक 25.30 लाख किसान तथा एमओवीडीएनईआर स्कीम के अंतर्गत 2.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पीकेवीवाई स्कीम और एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत किसानों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध – I** में दिया गया है।

(ग): पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के माध्यम से जैविक उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाती है। इसका लक्ष्य जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(घ) और (ङ): छोटे और सीमांत किसानों के बीच मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना 'कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन' (एसएमएएम) के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व आधार पर ट्रैक्टरों सहित कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाता है। सीएचसी द्वारा ड्रोन खरीद के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक ड्रोन की मूल लागत के 40% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के 50% की दर से अधिकतम 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। व्यक्तिगत किसान भी ड्रोन के लिए वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) स्कीम किसानों को स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण और उनकी बंजर/परती/कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तीन घटक हैं: (i) घटक 'क': किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना; (ii) घटक 'ख': 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना; और (iii) घटक 'ग': 35 लाख मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण और फीडर लेवल सोलराइजेशन (एफएलएस) के माध्यम से। पीएम कुसुम योजना के सभी घटक एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत आते हैं।

लो.स.अता.प्र.सं.4879

अनुबंध-I

वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई स्कीम और एमओवीडीएनईआर स्कीम के तहत लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	किसान
	पीकेवीवाई	
1	आंध्र प्रदेश	7,46,976
2	बिहार	43,208
3	छत्तीसगढ़	60,294
4	गुजरात	17,836
5	गोवा	12,685
6	झारखंड	32,714
7	कर्नाटक	37,598
8	केरल	3,10,841
9	मध्य प्रदेश	1,16,360
10	महाराष्ट्र	87,350
11	ओडिशा	70,026
12	पंजाब	6,676
13	राजस्थान	2,17,479
14	तमिलनाडु	37,886
15	तेलंगाना	18,405
16	उत्तर प्रदेश	2,73,672
17	पश्चिम बंगाल	48,585
18	असम	9,740
19	मिजोरम	2,054
20	मेघालय	2,275
21	हिमाचल प्रदेश	44,932
22	जम्मू और कश्मीर	12,900
23	उत्तराखंड	3,01,109
24	अंडमान और निकोबार	3,590
25	दमन और दीव	1,324
26	लद्दाख	14,070
	कुल	**25,30,585**
	एमओवीसीडीएनईआर	
1	अरुणाचल प्रदेश	15699
2	असम	24,425
3	मणिपुर	42,338
4	मेघालय	19,841
5	मिजोरम	22,104
6	नागालैंड	31,128
7	सिक्किम	38,645
8	त्रिपुरा	25,753
	कुल	**2,19,933**

****